कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 323/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक- 18.08.2026**

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक–18.08.2026
थाना–देवगांव, जनपद आजमगढ़

➡ नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से आभूषण झपटने वाले शातिर अन्तर्जनपदीय अपराधी/ टप्पेबाज से थाना देवगांव पुलिस की मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार

➡ अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा/खोखा कारतूस, मोटरसाइकिल, लूटे गये आभूषण एवं ₹850/- नकद बरामद

➡ लूटे गये आभूषण खरीदने वाला सुनार भी गिरफ्तार, उसके कब्जे से 01 जोड़ी कान का टप्स बरामद

➡ गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आजमगढ़, वाराणसी एवं चंदौली में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट सहित कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत

पूर्व की घटना–

दिनांक 17.08.2026 को वादी मुकदमा **अमित प्रताप सिंह पुत्र अवधेश सिंह**, निवासी ग्राम जियासड़, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर तहरीर दी गयी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा 03-04 दिन पूर्व लालगंज तहसील के सामने उनकी माता को उनके पुत्र को नौकरी दिलाने का झांसा देकर केराकत तहसील ले जाया गया तथा उनके पहने हुए कान के टप्स एवं सहारा को झपट्टा मारकर छीन लिया गया। इस संबंध में थाना देवगांव पर **मु0अ0सं0 293/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना सकलडीहा, जनपद चंदौली के मु0अ0सं0 180/2023 धारा 379, 420, 411 भादवि में उसके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या A-1 दिनांक 30.12.2023 मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। उक्त अभियोग में चोरी, धोखाधड़ी एवं चोरी की संपत्ति रखने का अपराध प्रमाणित पाया गया था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानों में भी धोखाधड़ी, चोरी, विश्वासघात एवं अन्य आपराधिक धाराओं में अभियोग पंजीकृत होने की जानकारी प्रकाश में आयी है।

मुठभेड़ का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों एवं शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17/18.08.2026 की रात्रि थाना देवगांव पुलिस द्वारा रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक शातिर अपराधी मोटरसाइकिल से पल्हना-लहुवाँ मार्ग की ओर आ रहा है, जिसके पास अवैध असलहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की गयी। कुछ देर बाद नसीरपुर की तरफ एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया लेकिन पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार भागने लगा, जिसका पुलिस द्वारा

पीछा किया गया। नसीरपुर पुलिया के पास मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गयी। पुलिस टीम द्वारा रुकने के लिए कहने पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। पुलिस टीम द्वारा पर्याप्त चेतावनी के पश्चात आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु 100 शैय्या संयुक्त अस्पताल लालगंज भेजा गया। घायल अभियुक्त की पहचान शमीम उर्फ सूरज उर्फ मुमताज उर्फ बब्लू यादव उर्फ समीर अंसारी पुत्र स्व0 मो0 शरीफ, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी डीएलडब्ल्यू जलालीपट्टी, थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी, हालपता ग्राम निधौरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली के रूप में हुई। अभियुक्त द्वारा छीने गये आभूषणों में से एक जोड़ी टप्स सुनार दिनेश वर्मा पुत्र रामअवतार वर्मा, निवासी वार्ड नं0 12, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर को दिये जाने की जानकारी पर पुलिस द्वारा उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 01 जोड़ी कान का टप्स पीली धातु बरामद हुआ।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0– 294/2026 धारा 109(1), 351(3) बीएनएस, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0–293/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0–294/2026 धारा 109(1), 351(3) बीएनएस, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त–

1. शमीम उर्फ सूरज उर्फ मुमताज उर्फ बब्लू यादव उर्फ समीर अंसारी पुत्र स्व0 मो0 शरीफ, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी डीएलडब्ल्यू जलालीपट्टी, थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी, हालपता ग्राम निधौरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली। **(घायल)**
2. दिनेश वर्मा पुत्र रामअवतार वर्मा, उम्र करीब 45 वर्ष निवासी वार्ड नं0 12, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर, पेशा–सुनार।

बरामदगी–

अभियुक्त शमीम उर्फ सूरज के कब्जे से–

01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर,
01 मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर नं0 PB10CK5791, 01 जोड़ी कान का सहारा पीली धातु, ₹850/- नकद

अभियुक्त दिनेश वर्मा के कब्जे से–

01 जोड़ी कान का टप्स पीली धातु।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 180/2023 धारा 379, 420, 411 भादवि, थाना सकलडीहा, जनपद चंदौली।
2. मु0अ0सं0 0146/2023 धारा 120-B, 420 भादवि, थाना कोतवाली काशी, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 0086/2017 धारा 376, 411, 420 भादवि, थाना कैंट, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 0058/2015 धारा 406, 420 भादवि, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. मु0अ0सं0 0464/2023 धारा 120-B, 379, 411, 413, 420 भादवि, थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी।

मुठभेड़/गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम–

थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, उ0नि0 रवीन्द्र नाथ पाण्डेय, उ0नि0 विनय कुमार सिंह, उ0नि0 राजेश कुमार सिंह, हे0का0 जितेन्द्र सिंह, हे0का0 संजय कुमार दूबे, का0 कृष्ण कुमार सिंह, का0 आनन्द कुमार, का0 सूर्यकान्त, रि0का0 देवेश कुमार गुप्ता, रि0का0 कमरान अंसारी एवं का0 सुमन प्रभात राय चालक, रि0का0 संदीप कुमार सिंह, रि0का0 तेजस शुक्ला, रि0का0 अमित तिवारी एवं हो0गा0 प्रमांशु राय थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।